title : Need to formulate promotion policy for employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes category.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार रखने की आज्ञा प्रदान की है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दा है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत दिनांक 15-11-1992 तक सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजकीय सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आरक्षण प्रदान किया जाता रहा है।

इन्दरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की नौ जज की संविधानिक पीठ ने दिनांक 16-11-1992 को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही यथावत रखा जाएगा। भारत सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से नया अनुच्छेद 16(4ए) दिनांक 17-06- 1995 से जोड़ा।

उच्चतम न्यायालय की दो जज पीठ ने दिनांक 10-10-1995 को वीरपाल सिंह चौहान प्रकरण, तीन जज पीठ ने दिनांक 01-03-1996 को, पांच जज पीठ ने दिनांक 16-09-1999 को सामान्य वर्ग के राजकीय कर्मचारियों को वरिष्ठता में "रिगैनिंग" का लाभ देते हुए ""कैच अप रूल" प्रतिस्थापित किया, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति के राजकीय कर्मियों को पदोन्नति तो मिलेगी, लेकिन पदोन्नति के साथ परिणामिक वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। इस विसंगति को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 85वें संविधान संशोधन को दिनांक 17-06-1995 से लागू किया।

उच्चतम न्यायालय की पांच जज पीठ के समक्ष 77वें व 85वें संविधान संशोधनों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गयी। उच्चतम न्यायालय ने दिनोंक 19-10-2006 को एम.नागराज प्रकरण के नाम से अपना निर्णय दिया। जिसमें इन संवैधानिक संशोधनों को तो सही माना किन्तु कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों के कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो इस हेतु उसे इन वर्गों के पिछड़ेपन, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं सरकार के काम की दक्षता पर प्रभाव के संबंध में आंकड़े एकत्रित कर आधार तैयार करना होगा। इन शर्तों के कारण वर्ष 1995 से अब तक इन वर्गों के लोगों को पदोन्नति का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इन वर्गों को सरकार की ओर से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण इनमें निराशा का भाव व्याप्त हो रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा एम.नागराज के निर्णय का सहारा लेकर विपरीत निर्णय दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के इन्द्रा साहनी केस में 9 जज बैंच के द्वारा दिए गए निर्णय की एम.नागराज मामले में सही व्याख्या नहीं की गयी है तथा अनावश्यक भ्रान्ति की स्थिति पैदा कर दी गयी है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि एम.नागराज प्रकरण से उत्पन्न भ्रान्ति को दूर करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के राजकीय कर्मचारियों को पदोन्नति के साथ परिणामिक वरिष्ठता का लाभ मिल सके, इस हेतु तत्काल प्रभाव से संविधान में संशोधन की सरकार पहल करे।

MR. CHAIRMAN :

Shri Arjun Ram Meghwal's name may be associated with Shri P.L. Punia.